



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2305

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44484 वर्ष 2025

रौनक खरवार उर्फ बंटी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आशुतोष शुक्ला

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अमित कुमार सिंह, अमरीश तिवारी, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं।
2. श्री आशुतोष शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 0185 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना रानीपुर, जिला मऊ के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका नाम पुलिस के समक्ष सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में आया है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 07.11.2025



से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का खंडन नहीं किया जा सका।
6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक का नाम पुलिस के समक्ष सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में आया है जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **रौनक खरवार @ बंटी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

(रवि कांत)